न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा– मुरादाबाद।

दण्डवाद संख्या–1229/2018

सरकार बनाम बब्बन आदि।

आरोप

मैं प्रीति मोगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा आप अभियुक्तगण बब्बन, महफूज, भूरी, असलम, गोशे, नन्नी, शकील पर निम्न आरोप विरचित करती हूँ–

1–यह कि दिनॉक–30.06.2017 को समय सुबह 09.00 बजे ग्राम–रूस्तमपुर तिगरी, थाना–भोजपुर, जिला मुरादाबाद में आपने वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिजनों पर एकराय होकर विधि विरूद्ध सम्मेलन के सदस्य थे तथा सम्मेलन के सामान्य उददेश्य के अभियोजन में अर्थात बलबा करने का अपराध किया जो धारा 147 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय है, मेरे प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिजनों पर आप सभी ने एक राय होकर घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0स0 की धारा–148 के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा वादी मुकदमा के परिजनों विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया। इस प्रकार आपके ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0स0 की धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिजनों को मार पीटकर साधारण उपहति कारित किया गया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 354 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के घर में झगड़ा करने की नियत से अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा–452 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि उपरोक्त आरोपों पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 09.01.2020

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजि0
ठाकुरद्वारा।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण चाहा ।

दिनांकः 09.01.2020

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजि0
ठाकुरद्वारा।